Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Regarding reservation to Maratha Community.

***श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली) :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, आप वीरों की भूमि से आते हैं। मैं आपके सामने शिक्षा और नौकरियों में मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण के संदर्भ में अपने शब्द रखना चाहता हूं। जब-जब इस देश पर आक्रमण हुआ है, तब-तब महाराष्ट्र उन आक्रमणों के खिलाफ जागा है, तब-तब मराठा वीरों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। आपने पानीपत में देखा होगा कि जब अहमद शाह अब्दाली इस देश पर आक्रमण करने आया था, तो एक ही दिन में सवा लाख मराठा वीरों ने अपना खून पानीपत की भूमि पर बहा दिया था। एक कवि ने कहा है कि –" यदि महाराष्ट्र मरा तो राष्ट्र भी मरेगा, मराठों के बगैर राष्ट्र भी नहीं चलेगा, मराठा पराधीनता का हमेशा प्रतिकार करेगा और यही इस राष्ट्र का आधार बनेगा।"

महोदय, हिन्दुस्तान का जो आधार रहा है, वह हमारा मराठा वीर रहा है। मराठा वीरों ने देश और धर्म को बचाने के लिए शहीद होने के काम किया है। आज वही मराठा वीर आरक्षण तथा शिक्षा और नौकरी नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को कानून के माध्यम से आरक्षण दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया गया था। लेकिन 9 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया गया है। वर्ष 2020-21 में भर्ती होने वाली प्रक्रिया में यह आरक्षण नहीं लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण मराठा समाज के लोगों के साथ अन्याय होगा, जिनको बहुत वर्षों के संघर्षों और आंदोलनों बाद आरक्षण का अधिकार मिला है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह विनती है कि मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए और इस वर्ष इस पर लगी रोक को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएं।

धन्यवाद। जय हिन्द, जय महाराष्ट्र।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हेमन्त पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।